186

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5096—दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28—08—2015 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील नईगढ़ी जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 12/अ—12/2014—15.

.....

श्रीमती मिथलेश कुमारी पति योगेश्वर प्रसाद ब्रा0
निवासी ग्राम अकौरी तहसील नईगढ़ी जिला रीवा

———आवेदिका

विरूद्ध

सूर्यभान तनय रासुन्दर उपाध्याय
निवासी ग्राम अकौरी तहसील नईगढ़ी जिला रीवा

——— अनावेदक

.....

श्री सत्येन्द्र सिंह अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 पी0 मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 21/6/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील नईगढ़ी जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—08—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2—प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार तहसील नईगढ़ी जिला रीवा के न्यायालय में दिनांक 11.6.14 को आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम रामपुर की आराजी कमांक 537/1, 538/2, 543/1, 544/1, 548/1 कि सीमांकन हेतु आवेदन पस्तुत किया । तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को आदेशित कर प्रतिवेदन की मांग की गई। हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.8.15 को सीमांकन का आदेश पारित किया तथा आवेदिका की आपत्ति निरस्त की। इससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि पटवारी हल्का मुडिला कमांक 13 तहसील नईगढ़ी जिला रीवा द्वारा सूचना पत्र दिनांक 2.6.15 को जारी किया जो सीमांकन के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व का है तथा सीमांकन आवेदन पत्र में सरहददी कास्तकारों को सूचना नहीं दी गई। सूचना पत्र जारी किया गया था लेकिन उनमें सरहददी कास्तकारों के नाम नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। उनके द्वारा यह भी अपने तर्क में कहा गया है कि पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 16.6.15 और स्थल पंचनामा दिनांक 6.5.15 का है जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.8.15 को की गई है वह नितांत अवैध एवं निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी तर्क दिया गया है कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक में पटवारी द्वारा प्रतिवेदन सहफील्ड बुक प्रस्तुत की गयी है उसके विषय में सीमांकन आवेदन के अलावा भी एक आराजी नम्बर 138/2 का सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जबकि सीमांकन आवेदन में उक्त नम्बर का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है जिसमें यह प्रतीत होता है कि हल्का पटवारी द्वारा अनावेदक से मिलकर आवेदिका को नुकसान पहुंचाने के उददेश्य से एसी कार्यवाही की है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी है उनके द्वारा अपनी लेखी बहस में लेख किया है कि आवेदक द्वारा सीमांकन में उक्त आदेश की चुनौती इस आधार पर दी गयी है कि सीमांकन आवेदन के पूर्व सूचना पत्र जारी किया गया हैं आवेदन देने की दिनांक 11.6.15 उल्लिखित की गयी जबकि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में सीमोंकन का आवेदन दिनांक 11.6.14 को दिया गया था किन्तु निगरानीकर्ता द्वारा सीामांकन आवेदन के पूर्व सूचना पत्र जारी करने का अविधिक प्रयास किया गया जिसमें विश्वास नहीं किया जा सकता है क्यों मूल प्रकरण संलग्न है जिसे देखा जा सकता है । अतः निगरानी निरस्त योग्य है। अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि निगरानी मेमों म इस तथ्य पर विशेष बल दिया गया है कि हल्का पटवारी द्वारा बिना आवेदन के ही आराजी न0 138/2 का सीमांकन कर दिया गया है जबकि हल्का पटवारी द्वारा 138/2 का सीमांकन नहीं किया गया बल्कि 538/2 का सीमांकन किया गया हैं जिसका उल्लेख अनावेदक के आवेदन पत्र में है

तथा सूचना पत्र पंचनामा एवं फील्ड बुक में आराजी नं 538/2 का स्पष्ट उल्लेख है। सीमांकन का सबसे महत्वपूर्ण अंग फील्ड बुक होती है। जिसमें स्पष्ट रूप से आराजी न0 538/2 अंकित है तथा आराजी न0 538/2 सहित 5 किता भूमियों के सीमांकन के बावत 250 सीमांकन शुल्क जमा किया गया है तथा इन्हीं नंबरों के खसरा व नक्शा की नकलसंलग्न की गई है एसी स्थिति में आराजी न0 138/2 का सीमांकन करने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं । अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहाराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ता आवेदिका मिथलेश का भाई सूर्यप्रकाश सीमांकन के समय मौके पर था लेकिन पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था इसी प्रकार भोला प्रसाद चोरसिया के सूचना पत्र में हस्ताक्षर बने हुये हैं लेकिन पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया है। तहसीलदार नईगढ़ी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदिका आपत्तिकर्ता चाहे तो अलग से अपना सीमांकन करा सकते है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील नईगढ़ी जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–08–2015 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर